

सं ई 11021/1/2017-हिन्दी/1178

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 09 अगस्त, 2017

परिपत्र


विषय:- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में दिनांक 01.09.2017 से 15.09.2017 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन ।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सहर्ष सूचित किया जाता है कि संघ की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने के लिए, दिनांक 01.09.2017 से 15.09.2017 तक जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में 'हिन्दी पखवाड़े' का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान, मंत्रालय में (i) हिन्दी निबंध (ii) राजभाषा हिन्दी संबंधी प्रश्नोत्तरी (iii) अनुवाद प्रतियोगिता (हिन्दी-अंग्रेजी-हिन्दी) (iv) हिन्दी टंकण (v) हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग (vi) हिन्दी वाद विवाद (विषय-वर्तमान समय में नैतिकता के पतन का कारण सोशल मीडिया) (vii) हिन्दी निबंध (केवल एमटीएस एवं समकक्ष के लिए) (हमारे सामाजिक मूल्यों पर टेलिविजन और फिल्मों का प्रभाव) और (viii) हिन्दी काव्य पाठ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं की मुख्य विशेषताएं:

1. प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार- 4000/- रुपए, द्वितीय पुरस्कार-2500/- रुपए, तृतीय पुरस्कार- 1500/- रुपए और 1000/- रुपए के चार प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएंगे।
2. एक उम्मीदवार को दो से अधिक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार नहीं दिया जाएगा ।
3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीनस्थ संगठनों से मंत्रालय (खास) अधिकारी और कर्मचारी भी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं में काम करने वाले, बशर्ते कि वे अपने मूल कार्यालय में आयोजित 'हिन्दी पखवाड़े' की प्रतियोगिता में भाग न लें ।
4. 'ग' भाषा क्षेत्र के भाषा-भाषी प्रतियोगियों को 10% अनुग्रह अंक (Grace Mark) दिया जाएगा।
5. प्रतियोगिताओं में अंतिम फैसला निर्णायक मंडल का होगा ।

प्रतियोगिताओं से संबंधित विस्तृत विवरण एवं नामांकन फॉर्म इसके साथ संलग्न है। जो अधिकारी/ कर्मचारी इन प्रतियोगिताओं भाग लेना चाहते हैं, वे अपनी प्रविष्टि इसके साथ संलग्न निर्धारित फॉर्म में भरकर दिनांक 31.08.2017 तक हिन्दी अनुभाग को अवश्य भेज दें।


9/8/2017
(वीना सत्यवादी)

सहायक निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष : 23719033

संलग्नक- यथोपरि

सेवा में-

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री जी के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री जी के निजी सचिव को सूचनार्थ।
3. सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
4. संयुक्त सचिव (प्रशा.)/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/ संयुक्त सचिव(पी.पी) के निजी सचिव को सूचनार्थ
5. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के समस्त अधिकारी ।
6. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी कर्मचारी/सभी अनुभाग
7. नोटिस बोर्ड ।
8. गार्ड फाइल ।
9. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय। कृपया मंत्रालय के इन्टरनेट पर इस परिपत्र को अपलोड करवाएं।